Abolition of admission under special dispension in Kendriya Vidyalayas

*326. SHRI BASUDEB MOHAPATRA:
KUMARI SUSHILA TIRIA:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan has abolished the system of admission under special dispensation;

(b) in what circumstances such a decision was taken;

(c) whether the revised admission policy of the Kendriya Vidyalaya has been issued; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Kendriya Vidyalayas have been set up to provide uniform and uninterrupted education to children of transferable Central Government employees. The policy prescribed for admissions to Kendriya Vidyalayas accords highest priority to children of transferable Central Government employees. The system of admission under special dispensation was introduced in 1975 to enable admission of a few most deserving cases. However, over the years, demand for such admissions increased and this system caused discontent among those who could not get admission. This also subjected the Kendriya Vidyalaya Sangathan to a lot of pressure. Further, such admmissions were generally made over and above the prescribed enrolment limits thereby inflating the strength of the class. This made it difficult for many schools to maintain good educational standards. The Kendriya Vidyalaya Sangathan Board therefore took the decision in April, 1987 to discontinue the system of admission under special dispensation.

(c) Yes, Madam.

(d) The revised policy is given in the attached statement.

Statement

PRIORITIES FOR ADMISSION:

I. *Kendriya Vidyalayas in Defence and Civil Sector:*

(a) Children of transferable Central Government employees including Defence Personnel, CRPF|BSF|SPF|BRTF|CISF|NSG, employees of All India Services and Indian Foreign Services, children and dependent grand-children of MPs, children of transferable Central Government employees including Defence Personnel who die in harness.

(b) Children of transferable employees of autonomous bodies and Public Sector Undertaking fully financed by Central Government.

(c) Children of non-transferable Central Government|Central Public Sector Undertaking employees.

(d) Children of other floating population which includes population desirous of joining the pattern of studies adopted in Kendriya Vidyalayas.

II. *Kendriya Vidyalayas in Institution of Higher Learning and Public Sector Undertakings:*

(a) Children of the employees of the Institutions|Public Sector Undertakings which is meeting all the recurring and non-recurring expenditure on the Vidyalaya building and equipment and staff and children of the employees of the concerned Kendriya Vidyalaya.

(b) Children of transferable Central Government employees including Defence.CRPF|BSF|BRTF|CISF|NSG Personnel and employees of All India Services and the Indian Foreign Service.

(c) Children of transferable employees of other autonomous bodies and

†The question was actually asked on the floor of the House by Kumari Sushila Tirla.

Public Sector Undertakings fully financed by Central Government.

(d) Children of non-transferable Central Government|Central Public Sector Undertakings employees including Defence|CRPF|BSF Personnel.

(e) Children of other floating population whcih include civilian population desirous of joining the pattern of studies adopted in the Kendriya Vidyalayas.

Explanation:

(a) The term 'transferable Central Government employees' means employees who have undergone at least one transferable during the preceding 7 years.

(b) The term 'Children' used in the above mentioned 'priorities' means sons daughters of the categories of employees mentioned therein including their legally adopted children and step-children. The grand-children, dependent real brothers and sisters of such employees will, however, be accorded second priority. These children will be deemed belonging to a category next below to that in which their own children are placed.

(c) The admissions of the children of transferable Central Government employees who die in harness and of MPs children (including their dependent grand-children) and of Kendriya Vidyalaya Sangthan employees and of SPG and NSG would be over and above the prescribed existing class size.

(d) The number of transfers in the past 7 years shall not be counted for children of Central Government employees who die in harness; SPG, NSG, KVS, MP children and their dependent. The term 'dependent' would mean the MP's own grand-children who are staying with the MP either at his|her house in Delhi or at his|her, legal or constituency address and whose parents' total income does not exceed Rs. twelve thousand (Rs. 12,000|- per annum).

...mission policy has come into

KUMARI SUSHILA TIRIA: Madam, I know from the hon. Minister about the pilot project. Madam, Pilot projects on computer literacy and studies are being undertaken in schools by the Government for creating better awareness among the students. It is a praise-worthy thing. Madam, I would like to know from the hon. Minister which are the schools where this pilot project has been introduced Will it cover the Kendriya Vidyalayas all over the State? If so, what steps has the Government taken about the pending proposal for opening Kendriya Vidyalayas to meet the requirements of students.

श्रीमती कृष्णा साहो : उपसभापति महोदया, प्रश्न बच्चों के एडमिशन का है। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है वह कम्प्यूटराइजेशन को लागू करने के संबंध में है । यह प्रश्न इससे नहीं उठता, इसके लिए अलग नोटिस की आवश्यकता है ।

KUMARI SUSHILA TIRIA: Madam, my second supplementary is this. The number of tribal students has been increasing all over the States. There is only 17-1|2 per cent reservation for the tribal people in the Kendriya Vidyalayas. I want to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to increase the reservation in the Kendriya Vidyalayas so that the meritorious tribal students may get admission in these Vidyalayas.

श्रीमती कृष्णा साहो : उपसभापति महोदया, केन्द्रीय विद्यालयों में आरक्षण की प्रणाली बहुत पहले से है जो कि अखिल भारतीय स्तर पर जो रिजर्वेशन की हमारी प्रणाली लाग् है, जो सरकार की नीति है, उसके अनुकूल ही केन्द्रीय विद्यालयों में भी नामांकन किए जाते हैं । अतः जो 19 प्रतिशत और 7 प्रतिशत का आरक्षण है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन उसे मैरिट के आधार पर लागू किया जाता है ।

डा० बापू कालदाते : उपसभापति महोदया, जहां तक सिद्धांत का सवाल है, वहां तक मैं आपसे सहमत हूं कि

केन्द्रीय विद्यालयों में जो केन्द्रीय दफ्तरों में काम करने वाले अन्य राज्यों में रहने वाले कर्मचारी हैं उनको वरीयता मिलनी चाहिए । इसके लिए आपने हम लोगों को चिट्ठी लिखी कि आप हमारे पास नाम मत भेजिए क्योंकि केन्द्रीय संगठनों के पास हमने मसला छोड़ दिया है । आपने जो केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में कहा और उनको गाइडलाइंस भेजी उनका कागज हमारे पास है, उसमें हर-एक जगह पर यह लिखा है---

"Children of other floaing population which includes population desirous of joining the pattern of the studies appear in the Kendriya Vidyalayas."

तो यह जो फ्लोटिंग वाला मामला है, इसमें यह हो रहा है कि बजाए मिनिस्ट्री की तरफ से डाइरेक्टली केन्द्रीय विद्यालय संगठनों और स्कूलों में लोग जाते हैं और जो प्रेशर आपके ऊपर लाते थे, वहां नीचे के स्तर पर डाला जा रहा है और वहां इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, करप्शन हो गया है जितना कि नहीं होना चाहिए था । पहले से ज्यादा करप्शन बढ़ने का मौका आपने दिया है । यह जो शिकायत है, यह आपके पास भी आई होगी । आपने कहा है कि संख्या बहुत बढ़ गई है । तो कितनी शिकायतें इस ढंग की आपके सामने आई हैं जहां नीचे के लोगों ने अंडर प्रेशर या फेवरेटिज्म की दृष्टि से एडमिशन दिया है जिनको नहीं देना चाहिए था ? तो क्या ऐसी शिकायतों की संख्या उसी रूप से बढ़ गई है या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए । एक साथ, प्रश्न ही नहीं किए, इन्होंने प्रश्नों और भाषण का समुद्र सा बिछा दिया है । उसमें से डुबकी लगाकर निकालना है कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि अभी तक हमारे पास एक भी उदाहरण अनियमितता का नहीं आया है।

माननीय सदस्य ने कहा कि नीचे के स्तर पर बंगलिंग हो रही है । एक भी उदाहरण माननीय सदस्य या कोई भी सदस्य दें तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनरल नेचर का बताया कि करप्शन हो रहा है । एक दो केस जो हमारे पास आए हैं, उन पर ऐक्शन तत्काल लिए गए हैं । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इस प्रावधान को लागू करने के बाद नामांकन में जो अनियमितताएं होती थीं, उनके ऊपर अंकुश लगा है । अगर वह एक भी दृष्टांत पेश करेंगे तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिली है ? अगर आई है तो उन्होंने इसके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, हमारे देश में कुल 639 केन्द्रीय विद्यालय हैं और इन केन्द्रीय विद्यालयों में मैं इतना कह सकती हूं कि प्रति वर्ष जो हमारे साधन हैं जो राशि हमें उपलब्ध होती है जो आवंटित की जाती है उसके अनुरूप हमने केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई है जैसाकि 66 और 75 में 80 थे तो 84-85 में ये बढ़कर 95 हुए फिर इसी तरह से 86-87 में ये 195 हुए और अभी तो आपको मालूम है कि 635 चल रहे हैं । हम आपको बताना चाहते हैं कि जिनके माता पिता अधिकांश ट्रांसफरेबुल जाब्स में थे उनके लिए एक नियम है कि 7 वर्षों में एक बार जिनका ट्रांसफर होता है उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और उनको प्राथमिकता दी गयी है । अभी भी स्थिति यह है कि आपके यहां आर्मी कैन्टोनमेंट में 5 स्कूल्स हैं । वहां पर जिनके 2 ट्रांसफर हुए हैं उनके बच्चों का भी दाखिला हो गया है । पहले ऐसा नहीं हुआ था । मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूं कि विशेष प्रवेश की संख्या इतनी बढ़ गयी थी

लास्ट इयर, दिल्ली और आउटर दिल्ली में कि अगर 483 एडमिशन लिये गये थे 12 स्कूलों में तो उसमें 364 नान-ट्रांसफरेबुल मातां पिताओं के बच्चे थे जो कि 75 प्रतिशत हुआ । यह 75 प्रतिशत जो हुआ इससे केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी वह उद्देश्य ही समाप्त हो गया था । विभिन्न भाषा-भाषी प्रांतों से जब बच्चे आते हैं तो उन्हें दूसरे स्कूलों में बड़ी कठिनाई होती है इसलिए इसमें परिवर्तन किया गया । अभी जो आबादी है जितने हमारे एडमिशन्स हैं उसके अनुरूप तो हम स्कूल नहीं खोल पाते हैं क्योंकि यह संभव नहीं है हमारी सीमित सीमा के आदर परन्तु जहां तक संभव है हमने इस बात का प्रयास किया है और इस बार इस संबंध में हमें शिकायतें बहुत कम मिली हैं, शिकायतें नहीं मतलब उस श्रेणी में जो नहीं आ सकते हैं उनका नहीं हुआ है । तो नेचुरली वे असंतुष्ट हैं लेकिन पहले ऐसा होता था कि 90 प्रतिशत ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता बहुत असंतुष्ट थे वे बहुत दुखी होकर जाते थे । अगर 90 प्रतिशत का हम प्रावधान कर सकते थे तो इस बार 10 प्रतिशत वैसे बच्चे नहीं आये । इसलिए वे सैटिस्फाइड हैं । ऐसी कोई अन्य बात नहीं है ।

श्री शान्ति त्यागी : मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 1987 के वर्ष में ट्रांसफरेबुल जो इम्प्लायीज हैं उनके कितने बच्चे एडमिट हुए हैं और जो नान-ट्रांसफरेबुल इम्प्लायीज हैं उनके कितने बच्चे एडमिट हुए हैं ये जो एडमिशन 87 में हुए, दो हैं, ट्रांसफरेबुल और नान-ट्रांसफरेबुल कर्मचारियों के बच्चों के, इनके लिए क्या कोई शिकायतें पक्षपात की या भ्रष्टाचार की आपको प्राप्त हुई हैं यदि हुई हैं तो आपने क्या कदम उठाये ?

श्रीमती कृष्णा साही : प्रश्न तो ठीक से करें । माननीय सदस्य दुहरा दें ।

श्री शान्ति त्यागी : मैंने कहा कि इस वर्ष 1987 में जो ट्रांसफरेबुल इम्प्लायीज हैं इनके कितने बच्चों को प्रवेश मिला और जो नान-ट्रांसफरेबुल इम्प्लायीज हैं इनके कितने बच्चों को एडमिशन मिला है और इन दोनों के बच्चों के जो एडमिशन हुए हैं क्या उनके विषय में किसी किस्म के पक्षपात या भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है और अगर मिली है तो आपने क्या किया ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, पूरी संख्या तो अभी नहीं है । लेकिन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जो नम्बर उन्होंने मांगा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, जनता के प्रतिनिधि के नाते किसी मामले में सिफारिश करना हमारा बुनियादी अधिकार है, मंत्री महोदया उसे मानें या नहीं मानें, यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है । अब जब सिफारिश का खाता बंद किया जा रहा है प्रवेश में तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सबके लिए बंद किया जा रहा है या कहीं उसमें से प्रवेश करने की गुंजाइश होगी ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदया ने स्वयं स्वीकार किया कि ये विद्यालय बहुत लोकप्रिय हैं । उनका अध्ययन अच्छा है, अध्यापकों को जरूर थोड़ी शिकायत है जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । आप विद्यालयों की संख्या बढ़ाये ताकि उसमें अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके । इसके लिये प्रबंध करिये और इसलिये सदन में आप कोई अतिरिक्त मांग लेकर आयेंगे तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे । क्या आपका इस तरह का कोई विचार है ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति जी, माननीय सदस्य तो बहुत अनुभवी हैं और उनकी सभी बातों की जानकारी भी रहती है, इसे मैं मानती हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं... (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : बच्चों की जानकारी नहीं है ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां तक सवाल और इसके जवाब का ताल्लुक है, इसकी तो जानकारी है, लेकिन बच्चे कैसे दाखिल होंगे और बच्चों के दाखिल नहीं होने से क्या पीड़ा होती है, इस पीड़ा को वह सम्भवतः समझ पायेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकती ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिंदी में कहावत है कि—"अगर शादी नहीं की, तो क्या हुआ, बारात में तो गये थे"।

एक माननीय सदस्य : यह आपको बार-बार करना पड़ता है ।

उपसभापति : आपका यह कहना है क्या कि एडमिशन नहीं मिली तो क्या हुआ, हमने सिफारिश तो की थी ।

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि अनुशंसा करने के अधिकार को छीन लिया जाता है या उस पर आघात पहुंचता है, तो मेरा मकसद यह कभी नहीं है और न मैं यह हिम्मत कर सकती हूं कि माननीय सदस्यों की जो अनुशंसायें आती हैं, उनके लिए मैं उनको मना करूं । . . . **(व्यवधान)** लेकिन उपसभापति जी, चिटठी मैंने भेजी है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि 1984-85 में जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन 1985-86 में अगर लगभग दस हजार अनुशंसायें हमारे एम०पीज० और बी०आई०पीज० की आई, जिसमें मात्र 1,227 का जो एच्छिक कोटा था, उसके मुताबिक किया जा सका । अब 1986-1987 में चौदह हजार तक हो गये । इसकी संख्या बढ़ गई और उसमें हम मात्र माननीय सभी सदस्यों या बी०आई०पी० की अनुशंसा पर, जो एच्छिक कोटा कहा जाता है, उसके अन्तर्गत 1,727 ही कर सके ।

बाकी मैंने पहले भी कहा है कि 90 प्रतिशत आवेदकों में असंतोष उत्पन्न होता था क्योंकि प्रवेश लगभग 10 प्रतिशत को ही मिल पाता था और मैंने तो माननीय सदस्यों से सिर्फ अनुरोध किया कि इसमें परेशानी यह हो जाती थी कि मार्च से लेकर अगस्त तक सारा कामकाज सरकार का नहीं हो पाता था और अगर क्लास में एक सेक्शन में 30 बच्चों की गुंजाइश है, तो वहां पर करीब-करीब 50, 55 और कहीं-कहीं पर 60 भी हो जाते थे, इसलिए इसमें परेशानी होने के कारण हम ऐसा नहीं कर सके और मुझे यह यह कदम उठाना पड़ा ।

माननीय सदस्यों को तो खुश होना चाहिए कि पहले जो कानून था, उस कानून के मुताबिक यह लोग एक्सैप्शंस में आते थे । एक्सैप्शंस में जो आप लोग या जो अनुशंसायें होती थीं, उनको एक्सैप्शंस से हटा कर मैंने केटेगरी I में ला दिया है, जिसमें कि एम०पी० के बच्चे, उनके डिपेंडेंट्स सब को उसमें एडमिशन होगी . . . **(व्यवधान)** उनको दाखिल किया जाएगा—सांसदों के अपने बच्चे क्योंकि वह भी एक तरह से ट्रांसफरेबल ही रहते हैं, आज यहां हैं, कल वहां हैं, उनका ठिकाना नहीं रहता कि कहां पर वह रहेंगे, इसलिए ताकि उनके बच्चों कि शिक्षा ठीक ढंग से हो सके, इसलिए प्रथम श्रेणी में उनको रख दिया है । पहले वह अपवाद के रूप में आते थे, जो एक्सैप्शंस आते थे, उसमें उनकी गिनती होती थी, लेकिन उनको तो खुश होना चाहिए कि अपवाद में क्यों रहेंगे वैसे ।

इसलिए नियम के अन्तर्गत ला दिया । जो केन्द्रीय विद्यालय में छूट की बात कही जाती है, न तो मंत्री को कोई छूट का अधिकार था, न एम०पीज० के लिए था, लेकिन कमिशनर को यह शक्ति प्रदत्त की गई थी और वह 1975 में ही प्रावधान किया गया था, पर यह आयुक्त को शक्ति प्रदत्त की गई थी और उन्हीं की अनुकम्पा से हम लोग सब को दाखिल करते थे, जो मैंने समझा कि उत्तर दिया होगा ।

अगर आप चाहें तो मैं बता सकती हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल : उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों की जो शिक्षा पद्धति है, जो उनका पाठ्यक्रम है, वह सारे देश में समान है । इन स्कूलों में जब दाखिला होता है तो उससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि माता-पिता का तबादला होने पर या बच्चों का तबादला होने पर कोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है । यह बात राष्ट्रीय एकता के हक में है और इन स्कूलों का कोर्स भी उपयोगी है । ऐसी स्थिति में जब सारे देश की तरफ से और सदन की तरफ से यह मांग की जा रही है कि केन्द्रीय विद्यालयों को बढ़ाया जाये तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, कठिनाई राशि की है और हमारे साधन भी सीमित हैं । फिर भी जैसा मैंने बताया कि 1980 से 1984 और 1986 के बीच इनकी संख्या 195 थी और अब 1986-87 तक इनकी संख्या 635 हो गई है । हम इनको प्रत्येक वर्ष बढ़ाते ही जा रहे हैं । वैसे भी आप इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा का विषय राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, लेकिन हम भी इस दिशा में प्रयत्न करते हैं । राज्य सरकारें हमें जमीन देती है, मकान देती है । लेकिन जहां तक राशि का सवाल है, चूंकि ये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इसलिए राज्य सरकारों से राशि लेने का प्रश्न नहीं है ।

PROF. C. LAKSHMANNA: The Minister has stated two reasons for doing away with the special dispensation. One is the inflating strength of the class and secondly, falling of the educational standards. Now, I will be glad to know, what was the percentage of admissions made on the basis of special dispensation during the entire admission process? Part (b) of my question is, what are the parameters which are utilized to state that the educational standards have gone down? And thirdly, what study have you done to come to the conclusion that the educational standards have gone down because of the admissions that are made due to the special dispensation?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, मैंने पहले ही कहा कि जो हमें प्राप्त हुए, विशेष तौर पर बी०आई० पी० द्वारा अनुसंशित . . . **(व्यवधान)**

PROF. C. LAKSHMANNA: Without giving the figures, she has raised an accusing finger at the special dispensation.

श्रीमती कृष्णा साही : पूरे देश के स्तर पर आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । अगर वे चाहें तो मैं भेज दूंगी ।

मैंने यह नहीं कहा है कि इससे स्टेन्डर्ड गिर गया है । मैंने कहा है कि अगर दाखिला निर्धारित संख्या से ऊपर हुआ तो फलस्वरूप शिक्षा के स्तर में गिरावट की संभावना है क्योंकि एक क्लास में, मान लीजिए, जनकपुरी में एक सेक्शन में 30 बच्चे दाखिल होने हैं, लेकिन वहां पर 59 बच्चे विशेष छूट के आधार पर दाखिल करने होंगे तो आप ही बताइये कि क्या स्थिति होगी ? मैं सदन से आग्रह करती हूं कि ऐसी स्थिति में मैनेज कैसे होगा । जहां पर जगह इतनी है कि 30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, वहां पर हम 59 बच्चों को ले लें तो क्या स्थिति होगी । इसलिए मैंने यह नहीं कहा कि स्टेन्डर्ड गिर गया है इसके कारण । मैंने कहा कि जो स्थिति उत्पन्न हो गई है और जो 10 हजार से 14 हजार हो गये हैं तो हम अगर 14 हजार को दाखिल करेंगे तो हम लोग उनको कैसे रखेंगे । जगह की कमी के कारण परेशानी हुई है । मैंने यह नहीं कहा है कि स्टेन्डर्ड गिर गया है । मैंने कहा कि इसकी संभावना है ।

PROF. C. LAKSHMANNA: Madam, just one second. She is giving the figures as to how many were admitted last year and year before under special dispensation. What percentage does it fall . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has already mentioned that it has now been stopped. Next Question.